(b) and (c) As the deliberations at the Meet were at an informal level, the text of the same has not been prepared.

सिगरेट कम्पनियों को खेल प्रतियोगिताओं के प्रायोजन के लिए प्रचार

5508. श्रीमती वीणा वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिगरेट कम्पनियों द्वारा प्रायोजित खेल प्रतियोगिताओं को दूरदर्शन पर दिखाये जाने से इन कम्पनियों को मुफ्त में प्रचार मिलता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिगरेट कम्पनियां सरकारी प्रचार माध्यम से सिगरेट का प्रचार कर सकती हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो विज्ञापन के संदर्भ में दूरदर्शन की आचार संहिता का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी०सिंह देव): (क) से (ग) तम्बाकू सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों के दूरदर्शन पर सीधे विज्ञापन पर प्रतिबन्ध है फिर भी प्रायोजित खेल क्षेत्र से संबंधित ऐसे विज्ञापनों को यह सुनिश्चित करने के लिए रद्द किया जाता है कि उनसे तम्बाकू का प्रचार न हो।

मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों में कम मानसिक रोगी मुनिसिपालिटी

5509. श्री अटलबिहारी सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हिमाचल प्रदेश में इस समय कौन-कौन से कम प्रसिद्ध वाले टेलीविजन केन्द्र कार्यरत/निर्माणाधीन हैं;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में सुदूर गांवों में दूरदर्शन के प्रसिद्ध वाले ट्रांसमीटर की स्थापना की मांग की गई है, यदि हां, तो क्या;

(ग) यदि नहीं, तो इससे संबंधित क्या कारण है और इसके लिये कौन सी समयावधि है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी०सिंह देव): (क) वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सुन्दरनगर, पालमपुर, शिमला तथा डलहौजी में चालू टेलीविजन केन्द्र कार्यरत/निर्माणाधीन हैं।

(ख) और (ग) जिसके बारे की सूचना संलग्न है आपके

सुन्दरनगर में लघु प्रसिद्ध ट्रांसमीटर की स्थापना में विलम्ब हुआ है। हाल ही में एक भूमि स्थल प्राप्त कर लिया गया है और लघु प्रसिद्ध ट्रांसमीटर को स्थापित करने के लिए भवन निर्माण हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वर्तमान संकेतों के अनुसार ट्रांसमीटर के 1995-96 के दौरान सेवा हेतु चालू किए जाने की आशा है।

केबल टी०वी० नेटवर्क को लघु उद्योग का दर्जा दिया जाना

5510. श्रीमती वीणा वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केबल टी०वी० नेटवर्क को लघु उद्योग का दर्जा दे दिया है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या सरकार इस टी०वी० नेटवर्क पर शिक्षाप्रद कार्यक्रम दिखाने की अनिवार्यता लागू करेगी, और

(ग) क्या सरकार विदेशी चैनलों के नाम पर घटिया और भारतीय संस्कृति के खिलाफ नग्नता व हिंसा दिखाने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाने हेतु कोई आचार संहिता लागू करने की अनिवार्यता को सुनिश्चित करेगी, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी०सिंह देव): (क) उद्योग मंत्रालय ने "केबल टी०वी० नेटवर्क की स्थापना और परिचालन" सम्बन्धी गतिविधि को लघु सेवा और व्यापार उद्यम (एस०एस०एस०बी०ई०) के रूप में मान्यता दी है। ये इकाइयां "लघु सेवा और व्यापार उद्यम" के रूप में पंजीकरण प्राधिकारियों के पास पंजीकृत किए जाने की पात्र होंगी तथा एस०एस०एस०बी०ई० इकाइयों को उपलब्ध सुविधाओं को उठाया किए जाने की हकदार होंगी बशर्ते वे अन्य निबन्धन व शर्तें पूरा करती हों।

(ख) और (ग)

(घ) विदेशी उपग्रह चैनलों के कार्यक्रम भारतीय कानूनों की सीमा के अन्तर्गत नहीं आते।

Entry of Foreign Newspapers

5511. SHRI RAM NATH KOVIND : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government have approved entry of some foreign newspapers through satellite;